समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-11(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-21.04.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021010001 मद में मो0-62,100/- (बासठ हजार एक सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन अंचल अधिकारी, मधेपुरा को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :-

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अचंल अधिकारी, मधेपुरा	-	62,100=00	62,100=00
	कुल-	-	**62,100=00**	**62,100=00**

(मो0-बासठ हजार एक सौ) रूपये

उपावंटन की शर्ते :-

(1) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(2) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021010001 मद मांग संख्या -39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे।

(4) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रुप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकडे के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(5) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(6) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(7) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15-03-2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 258 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 29.04.16

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।